न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

निगरानी 2311-I-15

1. अखयराज त0 हरदास लोधी आयु 45 वर्ष व्यवसाय कृषि
2. श्रीराम त0 हरदास लोधी आयु 43 वर्ष व्यवसाय कृषि
3. राजेन्द्र त0 भाव सिंह लोधी आयु 25 वर्ष व्यवसाय कृषि
4. रामश्री वेवा भाव सिंह लोधी आयु 40 वर्ष व्यवसाय कृषि / गृहणी

निवासीगण - ग्राम महाराजपुरा, तहसील, ओरछा जिला टी

.... निगरानीकर्ता

बनाम

उमेश कुमार त0 कामताप्रसाद जाति चडार आयु 30 वर्ष व्यवसाय शिक्षक निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ म0प्र0

.... रेस्पोडेण्ट

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा दिनांक 22-7-15 को प्रस्तुत

22-7-15 अवर सचिव

22/7/15

आवेदन निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

महोदय,

प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निम्नप्रकार है –

1. यहकि, कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल ओरछा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 34/अ 27/2014–15 सीमांकन आदेश दिनांक 16/06/15 से व्यथित होकर श्रीमान् के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।
2. यहकि, उक्त सीमांकन कार्यवाही राजस्व निरीक्षक मण्डल ओरछा द्वारा म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 129 के नियमो के विरूद्ध की है। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के नियमों का पालन नहीं किया गया।

558 22/7/15 सुदामा राम शर्मा शपथ आयुक्त ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2311-एक/2015 जिला टीकमगढ़ अखयराज विरूद्ध उमेश कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एच.एस.यादव उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक ओरछा के प्रकरण क्रमांक 34/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16-06-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी ओरछा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी ओरछा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 01/2/19 (आर.के. जैन) सदस्य	